संख्या–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–15/2019................/श्र०सं०

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्रीमती सुजाता सिंह,
श्रम अधीक्षक, बाल श्रम, पटना

पटना–15, दिनांक–

विषय :–. विभागीय अधिसूचना सं० 44, दिनांक 29.6.19 द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त प्रभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं० 44, दिनांक 29.6.19 द्वारा आपका स्थानान्तण श्रम अधीक्षक, अरवल के पद पर किया गया था।

दिनांक 08.8.19 तक आपका प्रभार प्रतिवेदन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि आपने उस समय तक स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया था। इस कारण विभागीय पत्रांक 1886, दिनांक 08.8.19 द्वारा आपको निदेश दिया गया कि आज तक आपके द्वारा स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में इसे सरकार के आदेश की अवहेलना मानते हुये क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय, इस सम्बन्ध में तीन दिनों के अन्दर में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाय।

इसके आलोक में आपके द्वारा अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें पदस्थापन पटना में रहने देने का अनुरोध किया गया।

विभागीय पत्रांक 2036, दिनांक 26.8.19 द्वारा समीक्षोपरान्त आपको निदेश दिया गया कि यदि अभी तक आपने स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया है, तो दिनांक 26.8.19 तक निश्चितरूप से प्रभार ग्रहण कर लें। यदि उक्त तिथि तक आप प्रभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो दिनांक 27.8.19 से स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

इसके बाद भी आपके द्वारा सरकार के आदेश का अनुपालन न करके पुनः दिनांक 28.8.19 को मार्गदर्शन की माँग की गयी।

वर्णित स्थिति में आपको निदेश दिया जाता है कि स्वतः प्रभार त्याग कर नये स्थान हेतु तुरन्त प्रभार ग्रहण करें। यदि आप दिनांक 07.9.19 तक प्रभार ग्रहण नहीं करती हैं,· तो आपके स्पष्टीकरण के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के तहत लघु दंड दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1/श्रम वि०स्था(1) 10–15/2019.2124/श्र०सं० पटना–15, दिनांक–05/9/19

प्रतिलिपि : श्रमायुक्त बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/9/19

सरकार के उप सचिव